



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1539/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
कृष्ण कुमार सिंह महालक्ष्मी चैक बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री गोकुल लाल, हाउस कीपर उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06-07-2017 के द्वारा सर्किट हाउस बांसवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक किन-किन फर्मों द्वारा कार्य कराये गये जिसके संबंध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बांसवाड़ा से संबंधित होने के कारण बांसवाड़ा को सूचना उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया। उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश की गई। जिसके निर्णय दिनांक 20-03-2018 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 04-04-2018 द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है साथ ही यह भी निवेदन किया कि बांसवाड़ा सर्किट हाउस में स्टाफ की कमी है। केवल एक हाउस कीपर कार्यरत है। सूचना को तलाश करने व संकलित करने में समय लगा है जिसे प्रत्यर्थी ने विलम्ब का कारण बताया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसके साथ अपीलार्थी को प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 04-04-2018 एवं सूचना अभिलेख की प्रति संलग्न की है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 20-03-2018 की प्रति संलग्न की है एवं पत्र दिनांक 23-07-2017 व 09-08-2017 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त